

# SIKKIM UNIVERSITY

Ref. No.SU/2011/REG-03../VC-001/1408

Date: 17<sup>th</sup> August, 2017

**Government of India  
Ministry of Human Resource Development  
Department of Higher Education**

**Appointment of Vice-Chancellor of Sikkim University (A Central University)**

Sikkim University is a Central University established by an Act of Parliament.

**The Vice-Chancellor, being the academic as well as administrative head, is expected to be:**

- A visionary with proven leadership qualities, administrative capabilities as well as teaching and research credentials.
- Having outstanding academic record throughout and a minimum of 10 years' experience as a Professor in a University system or in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.
- Not more than 65 years of age as on the closing date of receipt of applications of the advertisement.

**Salary and Service Conditions**

- The post carries a pay of Rs. 75,000/- (Fixed) per month with Special Allowance of Rs. 5000/- and other usual allowances.
- The terms and conditions of the services will be those as set forth in the Act, Statues and Ordinances of the University.

**Procedure for appointment**

- Appointment will be made from a panel of names recommended by a Committee constituted under the provisions of the Statutes of Sikkim University Act.
- The advertisement and the format of application are available on the websites <http://mhrd.gov.in> and [www.cus.ac.in](http://www.cus.ac.in)
- The applications in the **prescribed proforma** should reach on or before 25.09.2017 by Registered/Speed Post to:

Shri Surat Singh, Deputy Secretary,  
Department of Higher Education, Ministry of HRD,  
Rood No.325, 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110115

**“Application for the post of Vice Chancellor, Sikkim University”**, should be super-scribed on the envelope.

This Department is not responsible for postal delay.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
उच्च शिक्षा विभाग

**सिक्किम विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) के कुलपति की नियुक्ति**

सिक्किम विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।

**शैक्षणिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने नाते कुलपति से यह उम्मीद की जाती है:**

- पारखी सिद्ध नेतृत्व गुणों के साथ दूरदर्शिता, प्रशासनिक क्षमताओं के साथ शिक्षण और शोध प्रत्यायक होना।
- विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक अभिलेख का होना अथवा किसी प्रतिष्ठित शोध और/अथवा शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर होना।
- इस विज्ञापन के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर 65 वर्षों की आयु से अधिक आयु का नहीं होना।

**वेतन एवं सेवा शर्तें**

- इस पद पर प्रति माह रु.75,000/- रुपये (नियत) के साथ रु. 5000/- का विशेष भत्ता और अन्य सामान्य भत्तों का भुगतान होता है।
- सेवा के नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधियों एवं अध्यादेशों में निर्धारित के अनुसार होंगे।

**नियुक्ति की प्रक्रिया**

- यह नियुक्ति सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधियों के प्रावधान के अंतर्गत गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के एक पैनल में से की जाएगी।
- विज्ञापन और आवेदन का प्रारूप वैबसाइट <http://mhrd.gov.in> और [www.cus.ac.in](http://www.cus.ac.in) पर उपलब्ध है।
- आवेदन **निर्धारित पारिपत्रक** में दिनांक 25.09.2017 को अथवा उससे पहले रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट द्वारा पहुँचना चाहिए :

श्री सूरत सिंह, उप सचिव  
उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
कमरा सं .325, 'सी'विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110115

लिफाफे पर "कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय के पद हेतु आवेदन" उपरलिखित होना चाहिए।

यह विभाग डाक विलंब हेतु उत्तरदायी नहीं है।